*अनुबंध - 12*

**केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व**
**वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10**

**प्रस्तावना**

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों - जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं - का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी ''कर तरजीह'' भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का "कर व्ययों" के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं वरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है - कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के रूप में तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले चार वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए है और यही वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2008-09 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों अथवा 2009-10 के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गएः

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगें, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

**प्रत्यक्ष कर**

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धमार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यह्रास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

**क. कारपोरेट सेक्टर**

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2008-09 (अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2009-10) के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक 3,66,233 कम्पनियों से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2009-10 में आशा की गई कुल निगमित विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। कर व्यय का आकलन लगाने के प्रयोजन के लिए इन 3,66,233 कम्पनियों[1] से सम्बन्धित आंकड़े आयकर विभाग के डेटाबेस

से प्राप्त किए गये।

आकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आयेः

- कम्पनियों ने करों से पहले 6,68,581 करोड़ रुपये का मुनाफा होने की सूचना दी है[2] (लगभग 43% कम्पनियों द्वारा नुकसान होने की सूचना दी गई) परन्तु वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 4,49,085 करोड़ रुपये मात्र की कुल आय (कर योग्य आय)[3] घोषित की।
- इन कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान अर्थात 2008-09 के दौरान 1,52,280 करोड़ रुपये की राशि (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) कॉरपोरेट कर के रूप में अदा की।
- इन कम्पनियों ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अनुषंगी लाभकर के रूप में 6,523 करोड़ रुपये तथा लाभांश वितरण कर के रूप में 10,981 करोड़ रुपये की राशि भी अदा की है।

सारणी 1 में मुनाफा रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रुपरेखा दी गई है। सम्पूर्ण सैम्पल की प्रभावी कर दर[4] 22.78[5] प्रतिशत रही। (2007-08 में 22.24 प्रतिशत की दर के मुकाबले) जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक कर दर से काफी कम थी। 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक के मुनाफे वाली कुल 179 कम्पनियों ने करों से पहले (इसके बाद पीबीटी) कुल मुनाफे के 57.54 प्रतिशत और कुल देय कॉरपोरेट आयकर के 55.71 प्रतिशत का योगदान किया। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर एक करोड़ रुपये तक के कर-पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों की 25.52 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में 22.05 प्रतिशत थी।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (67.17 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (79.95 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

**सारणी 1 : करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार - 366233)**

| क्रम सं. | करों से पूर्व मुनाफा | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में) | कुल आय में हिस्सा (% में) | संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में) | करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शून्य से कम | 132356 | 0.00 | 0.58 | 0.36 | - | - |
| 2 | शून्य | 24521 | 0.00 | 3.27 | 1.39 | - | - |
| 3 | 0-1 करोड़ रूपए | 188584 | 3.17 | 3.78 | 3.56 | 79.95 | 25.52 |
| 4 | 1-10 करोड़ रूपए | 16596 | 7.47 | 7.55 | 7.87 | 67.88 | 23.99 |
| 5 | 10-50 करोड़ रूपए | 2907 | 9.32 | 8.51 | 9.14 | 61.37 | 22.35 |
| 6 | 50-100 करोड़ रूपए | 531 | 5.51 | 4.98 | 5.37 | 60.75 | 22.21 |
| 7 | 100-500 करोड़ रूपए | 551 | 16.99 | 15.50 | 16.60 | 61.29 | 22.26 |
| 8 | 500 करोड़ रूपए से अधिक | 179 | 57.54 | 55.83 | 55.71 | 65.18 | 22.05 |
| 9 | सभी नमूना कंपनियां | 366233 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 67.17 | 22.78 |

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 47 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 18.44 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 20.66 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में, बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों (2,02,543) ने अपने लाभ के संबंध में कर के गैर-समानुपातिक रूप में कम राशि का योगदान किया। मजे की बात यह है कि 40,714 कम्पनियों, जिन्होनें कुल लाभ में 19.65 प्रतिशत और कुल कर में 36.10 प्रतिशत का योगदान किया है, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार कम्पनियों के बीच कर देयता असमान रूप से बंटी हुई है। यह असमानता कानून के अन्तर्गत विभिन्न कर अधिमानों के कारण है।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-366233)**

| क्रम सं. | प्रभावशाली कर दर (प्रतिशत में) | कम्पनियों की संख्या (प्रतिशत में) | कुल लाभों में हिस्सा (प्रतिशत में) | कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में) | संदेय कुल कर में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शून्य से कम तथा शून्य | 146554 | 4.25 | 0.71 | 0.36 |
| 2 | 0-20 | 55989 | 42.75 | 17.73 | 20.30 |
| 3 | 20-25 | 11581 | 5.63 | 7.22 | 5.59 |

1. *वित्त वर्ष 2007-08 के लिए नमूना आकार 4,10,45 था (31 मार्च, 2009 तक के आंकड़े वित्त वर्ष 2007-08 के बजट के रूप में लिए गए जो जुलाई, 2009 में प्रस्तुत किया गया ।*
2. *इसमें घाटे वाली कंपनियां शामिल नहीं हैं ।*
3. *आयकर विवरणी में पद ''कुल आय'' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा ।*
4. *कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर वं अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।*
5. *लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 24.42 प्रतिशत थी।*

| क्रम सं. | प्रभावशाली कर दर (प्रतिशत में) | कम्पनियों की संख्या (प्रतिशत में) | कुल लाभों में हिस्सा (प्रतिशत में) | कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में) | संदेय कुल कर में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25-30 | 18570 | 8.43 | 10.42 | 10.20 |
| 5 | 30-33.99 | 68296 | 19.31 | 27.98 | 27.45 |
| 6 | >33.99 | 40714 | 19.65 | 35.93 | 36.10 |
| 7 | अनिर्धारण | 24529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | सभी नमूना कंपनियां | 366233 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* *प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (पीएसयू केवल) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हांलाकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकारी कम्पनियां निजी कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र में सरकार की बहुत बड़ी राशि कर व्यय के रूप में खर्च करनी पड़ती है।

**सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-365509)**

| क्रम सं. | क्षेत्र | कम्पनियों की संख्या | कुल लाभों में हिस्सा (% में) | संदेय कुल कर में हिस्सा (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरकारी | 1947 | 21.69 | 25.85 | 27.14 |
| 2 | निजी | 363562 | 78.31 | 74.15 | 21.56 |
| | **योग** | **365509** | **100.00** | **100.00** | **22.77** |

* *प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। सेवा क्षेत्र की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी कर दर कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

**सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-365509)**

| क्रम सं. | क्षेत्र | कम्पनियों की संख्या | कुल लाभों में हिस्सा (% में) | संदेय कुल कर में हिस्सा (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विनिर्माण | 101329 | 48.46 | 46.74 | 21.97 |
| 2 | सेवा | 264180 | 51.54 | 53.26 | 23.53 |
| | **योग** | **365509** | **100.00** | **100.00** | **22.77** |

* *प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योगवार वितरण अन्त में में परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। उसके अवलोकन से यह पता चलता है कि कमोवेश सभी उद्योगों की प्रभावी कर दर सांविधिक स्तर से कम है परन्तु यह सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदाताओं और बीपीओ सेवा प्रदाताओं तथा सोफ्टवेयर विकास एजेन्सियों के लिए सबसे कम है जो क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत है। इन दोनों उद्योगों का योगदान कुल लाभों का 6.82 प्रतिशत किन्तु कुल करों का केवल 3.70 प्रतिशत है।

इन कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर परित्यक्त कर, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर का उपयोग करते हुए, परिकलित की गई है। त्वरित मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती; तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व पहले कम्पनियों को हुए लाभ हानि खातों के नामे डाले गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञ मूल्य ह्रास/कटौती के मध्य अन्तर को निर्धारित करते हुए परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् परित्यक्त राजस्व की राशि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर को इस अन्तर के लिए लागू किया गया है।

यद्यपि सभी कम्पनियों में से 90 प्रतिशत ही नमूना कम्पनियों में शामिल है, इन नमूना कम्पनियों के कारण राजस्व परित्याग को कारपोरेट सेक्टर में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व को कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के राजस्व परित्याग संबंधी आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2009 -10 में संग्रहित वास्तविक कर (2,13,395 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके

और फिर 2009-10 के संशोधित अनुमान कार्पोरेट कर संग्रहण (2,55,076 करोड़ रुपए) पर इसी अनुपात को लागू करके 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से कार्पोरेट करदाताओं का प्रमुख कर व्यय दर्शाती है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 410451)**

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरुप | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09) | निरुपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10) |
|---|---|---|---|
| 1 | एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 12321 | 14651 |
| 2 | ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 67 | 80 |
| 3 | सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 2677 | 3183 |
| 4 | ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 60 | 71 |
| 5 | एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 55 | 65 |
| 6 | निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू ) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख) | 6714 | 7984 |
| 7 | कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक ) | 9 | 11 |
| 8 | त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32) | 21175 | 25180 |
| 9 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/धारित कटौती (धारा 35(1) (2कक)एवं (2कख) | 2526 | 3004 |
| 10 | जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग) | 78 | 93 |
| 11 | धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 371 | 442 |
| 12 | वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक ) | 1 | 1 |
| 13 | राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख) | 24 | 29 |
| 14 | कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ) | शून्य | शून्य |
| 15 | अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक) | 1553 | 1847 |
| 16 | सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 315 | 375 |
| 17 | दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 4360 | 5185 |
| 18 | बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 6352 | 7553 |
| 19 | विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 122 | 145 |
| 20 | सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख) | 1422 | 1691 |
| 21 | लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 120 | 143 |
| 22 | जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 175 | 208 |
| 23 | जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछडे राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 321 | 382 |
| 24 | पिछडे जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 70 | 83 |
| 25 | मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 17 | 20 |
| 26 | वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 74 | 88 |
| 27 | खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 936 | 1113 |

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरुप | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09) | निरुपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10) |
|---|---|---|---|
| 28 | आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 813 | 967 |
| 29 | कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 4 | 5 |
| 30 | खाद्यान्नों की हैंडलिंग,भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 25 | 30 |
| 31 | फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पेकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 56 | 67 |
| 32 | ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 1 | 1 |
| 33 | पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 515 | 612 |
| 34 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 37 | 44 |
| 35 | उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 1543 | 1835 |
| 36 | हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 1933 | 2299 |
| 37 | जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 ञञक) | 25 | 30 |
| 38 | नए कामगारों को राजगारों के संबंध में कटौती (धारा 80 ञञकक) | 29 | 34 |
| 39 | अपतटीय बैंकिग यूनिटों(ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक) | 5 | 6 |
| | **योग :** | **66901** | **79554** |

यद्यपि पिछले वर्ष 2008-09 के लिए निरूपित राजस्व परित्याग 68,914 करोड़ रूपए होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब 66,901 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो 2.92 प्रतिशत कम है।

त्वरित मूल्य ह्रास लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत कर राजस्व की सर्वाधिक राशि (21,175 करोड़ रूपए) का परित्याग हुआ है।

विभिन्न क्षेत्रों में, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी), निर्यातोन्मुख उपक्रमों (ईओयू), विद्युत एवं दूर संचार क्षेत्रों के लिए कटौतियों का कुल कर परित्याग में क्रमशः 18 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत हिस्सा है।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के समय वित्त वर्ष 2008-09 के लिए एसईजैड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ पर कटौती 1,222 करोड़ रूपए होने का अनुमान था। तथापि, इन यूनिटों के लिए उसी वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग की अब गणना 2,677 करोड़ रूपए की गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए इन्हीं यूनिटों के लिए 3,183 करोड़ रूपए की कटौती होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2008-09 में कटौती में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए धारा 10 क एवं 10कक के संबंध में वित्त वर्ष 2009-10 में वास्तविक राजस्व परित्याग अनुमान से अधिक हो सकता है।

**ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर**

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 3,80,983 फर्मो/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। 31 दिसम्बर, 2009 तक इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने अपनी विवरणियां इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की थी। उनको वित्त वर्ष 2008-09 में फर्मो/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएः

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 53,013 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन 9 प्रतिशत हानि की सूचना दी गई) परंतु सिर्फ 38,289 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 12,001 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उनके मामले में प्रभावी कर दर[6] 22.64 प्रतिशत बनती है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर के रूप में 525 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 33.99 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेबिट किए गए मूल्यह्रास/कटौती और फर्मों/एओपी/बीओआई के हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यह्रास; कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वरित मूल्यह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती, तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। तत्पश्चात, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 33.99 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि संदत्त कर की दृष्टि से नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2008-09 में फर्मों/एओपी/बीओआई से संग्रहीत वास्तविक आय कर (13.361 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन का कर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2009-10 में आयकर संग्रहण के संशोधित अनुमान (14,556 करोड़ रुपए) के इसी अनुपात को लागू करके 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी-6 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। कुल मिलाकर उच्चतम कर दर आवासीय परियोजनाओं जो कुल राजस्व परित्याग का 34.5 प्रतिशत बैठती हैं, से प्राप्त उपक्रमों के लाभों की कटौती के कारण हैं।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान नमूना फर्मो /एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 462053 )**

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरुप | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2008-09) | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10) |
|---|---|---|---|
| 1 | एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 78 | 85 |
| 2 | ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | शून्य | शून्य |
| 3 | सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक ) | 359 | 391 |
| 4 | ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 11 | 12 |
| 5 | एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 1 | 1 |
| 6 | निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईओयू ) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख) | 416 | 453 |
| 7 | कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक ) | 23 | 25 |
| 8 | त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32) | 364 | 397 |
| 9 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक)एवं (2कख) | 1 | 1 |
| 10 | जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग) | 19 | 21 |
| 11 | पुण्यार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 103 | 112 |
| 12 | वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक ) | शून्य | शून्य |
| 13 | राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग) | शून्य | शून्य |
| 14 | कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ) | शून्य | शून्य |
| 15 | अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक) | 36 | 39 |
| 16 | सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 47 | 51 |
| 17 | दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | शून्य | शून्य |
| 18 | बिजली के उत्पादन,वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 16 | 17 |
| 19 | विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | शून्य | शून्य |
| 20 | सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख) | 1 | 1 |

*6. फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभ (पीबीटी) के संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं ) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।*

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरुप | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2008-09) | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10) |
|---|---|---|---|
| 21 | लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 58 | 63 |
| 22 | जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 79 | 86 |
| 23 | जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछडे राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 30 | 33 |
| 24 | पिछ्डे जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 17 | 19 |
| 25 | मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 1 | 1 |
| 26 | वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | शून्य | शून्य |
| 27 | खनिज तेल के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 15 | 16 |
| 28 | आवास परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 1502 | 1636 |
| 29 | कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 1 | 1 |
| 30 | खाद्यान्नों की हैंडलिंग,भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 2 | 2 |
| 31 | फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पेकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 5 | 5 |
| 32 | ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | शून्य | शून्य |
| 33 | पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 171 | 186 |
| 34 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 46 | 50 |
| 35 | उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 203 | 221 |
| 36 | हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग) | 383 | 417 |
| 37 | जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 ञञक) | 5 | व्यवसाय 5 |
| 38 | अपतटीय बैंकिग यूनिटों(ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक) | शून्य | शून्य |
| 39 | सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त) | 361 | 393 |
| | **योग :** | **4354** | **4743** |

**ग. व्यष्टि करदाताः**

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का 31 दिसम्बर, 2009 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की गई 20,67,345 विवरणियों में कर तरजीहों के विभिन्न दावों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। व्यष्टि करदाताओं के विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व परिव्यय को सारणी 7 में दिखाया गया है।

वर्ष 2008-09 के वित्त वर्ष के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान व्यष्टि करदाताओं से वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आयकर (1,20,004 करोड़ रुपए) के संबंध में वर्ष 2008-09 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात से परिकलित करके लगाया गया है और तत्पश्चात इसी अनुपात को 2009-10 में व्यष्टियों से वास्तविक आयकर संग्रहणों (1,31,421 करोड़ रुपए) पर लागू किया गया है।

अध्याय VI-क के अलावा, वित्त वर्ष 2008-09 में व्यष्टि करदाताओं से संबंधित अन्य मुख्य कर व्यय का कारण वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति) और महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाएं था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च बुनियादी कर छूट सीमाओं के कारण राजस्व परित्याग की गणना प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला के लिए राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा करके की गई है। उनके द्वारा दायर नमूना विवरणियों के प्रतिशत की गणना करके उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया है। इसके पश्चात, वित्त वर्ष 2008-09 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या पर इस प्रतिशत को लागू किया गया है। 31 दिसम्बर, 2009 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की गई कुल नमूना विवरणियां 20,67,345 हैं।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या 2,79,49,329 अनुमान लगाया गया है। नमूना विवरणियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल विवरणियों का 6 प्रतिशत तथा महिलाओं द्वारा शेष 26.3 प्रतिशत विवरणियां दायर की गई। इस प्रकार, 2,25,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 16,66,040 है। इसी तरह, 1,80,000 रूपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाली महिलाओं (जो वरिष्ठ नागिरक नहीं हैं) की संख्या 73,45,824 है।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं द्वारा दायर विवरणियों की तुलना में वित्त वर्ष 2009-10 के लिए उनके द्वारा विवरणियों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च बुनियादी छूट सीमाओं (क्रमशः 2,25,000 रुपए और 1,80,000 रुपए) ध्यान में रखकर प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) के कारण राजस्व परित्याग की गणना की गई है। परिणामी आंकड़े क्रमशः 7,500 रुपये तथा 3,000 रुपए है। इसके पश्चात ऐसे प्रत्येक करदाता के कारण राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा किया गया है।

सारणी 7 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय को दर्शाती है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2008-09 (नमूना आकार – 3458645) और 2009-10 (नमूना आकार – 2067345) के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

| क्रम सं. | प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृत्ति | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2008-09) | लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2009-10) |
|---|---|---|---|
| 1 | कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग) | 26569 | 28946 |
| 2 | कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग) | 160 | 174 |
| 3 | नयी पेंशन स्कीम में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ) | 22 | 24 |
| 4 | स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ) | 664 | 723 |
| 5 | आश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (80घघ) | 58 | 63 |
| 6 | विशेषीकृत बीमारियों के चिकित्सा इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख) | 23 | 25 |
| 7 | उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.) | 126 | 137 |
| 8 | धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ) | 313 | 341 |
| 9 | हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ) | 273 | 297 |
| 10 | वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक) | 23 | 25 |
| 11 | राजनीतिक दलों को दिए गए चन्दे के कारण कटौती (80छछग) | 9 | 10 |
| 12 | अवसंरचना सुविधाओं, एसईजैड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभ की कटौती (80झक) | 56 | 61 |
| 13 | एसईजैड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजैड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख) | 2 | 2 |
| 14 | आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के नियंत्रण, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख) | 676 | 736 |
| 15 | पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग) | 697 | 759 |
| 16 | जैव – उपचयन अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 ञञक) | 9 | 10 |
| 17 | भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (80थथक) | शून्य | शून्य |
| 18 | पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख) | 8 | 9 |
| 19 | पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख) | शून्य | शून्य |
| 20 | विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प) | 74 | 81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा | 1250 | 1362 |
| 22 | महिलाओं हेतु उच्च छूट सीमा | 2204 | 2401 |
| **योग** | | **33216** | **36186** |

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश; आवास ऋण की पुनःअदायगी एवं बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क की अदायगी (आयकर अधिनियम की धारा 80ग) के कारण कर व्यय एक व्यष्टि करदाता के मामले में सबसे बड़ा कर व्यय है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्बन्ध में उच्च बुनियादी-छूट सीमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जहां तक लाभ आधारित कटौतियों का संबंध है, सबसे बड़ा कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के कारण होता है।

**अप्रत्यक्ष कर**

**क. उत्पाद शुल्क**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनिमय, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अनेक मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर ये शुल्क लगाए जाने चाहिए। विभिन्न अधिनियमनों में विनिर्दिष्ट दरें उत्पाद शुल्क की "**टैरिफ दरों**" के रूप में ज्ञात हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को जनहित में छूट अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वह अनुसूचियों में विहित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें विहित कर सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा विहित दरें "**प्रभावी दरों**" के रूप में ज्ञात हैं।

परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी करने के लिए छोड़कर देय होने वाले शुल्क और सम्बद्ध वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है:-

- उन मामलों में जहां शुल्क की टैरिफ और प्रभावी दरों को यथामूल्य दरों में लगाई जाती है-

  **परित्यक्त राजस्व = माल का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर X शुल्क की प्रभावी दर)**

- उन मामलों में जहां छूट अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ दर यथा मूल्य आधार पर परन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट दरों पर लगाया गया है, वहां -

  **परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य ग़ शुल्क की टैरिफ दर) – (माल की मात्रा X विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)**

- उन मामलों में जहां टैरिफ दरें और प्रभावी दरें यथा मूल्य और विशिष्ट दरों का योग है, परित्यक्त राजस्व का परिकलन तदनुसार किया जाता है।
- उपर्युक्त सभी मामलों में शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर होने पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्तियों के अलावा, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के जरिए अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में मामला दर मामला आधार पर उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करने हेतु विशेष आदेश जारी करने की शक्तियां भी हैं। तथापि, सामन्य छूटों जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न अंग है, से हटकर छूट आदेशों को जारी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों से निपटना है। इसलिए विशेष छूट आदेशों को जारी करने के कारण परित्यक्त शुल्क का परिकलन परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं किया जा रहा है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2004-05 और 2005-06 के लिए परित्यक्त शुल्क का अनुमान करने के लिए वर्ष 2006-07 के बजट में शुरुआत की गई थी। अनुमान शुल्क भुगतान करने वाली यूनिटों द्वारा दायर आवधिक विवरणियों से संग्रहित आंकड़ों तथा 'सरमन' सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 विभिन्न जोनों में क्षेत्रीय कार्यालयों और 4 बड़ी करदाता यूनिटों (एल टी यू) द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़े होते हैं, द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के आधार पर आधारित थे। तथापि, विस्तृत संगणकीकरण के अभाव में अधिक शुद्धता के साथ परित्यक्त राजस्व का अनुमान करना कठिन पाया गया। संग्रणकीकरण के संवर्धित स्तरों और सरमन द्वारा रखे जाने वाले विस्तृत और संवर्धित आंकड़ों के साथ बाद के वर्षों के लिए परित्यक्त राजस्व का निर्धारण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ किया गया है। चूंकि सरमन द्वारा रखे गए परित्यक्त राजस्व में क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त राजस्व की राशि शामिल नहीं है, उक्त सूचना/आंकड़ों का संग्रहण पृथक रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से किया जाता है और इसे कुल परित्यक्त राजस्व जानने के लिए जोड़ दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए अनुमान अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के लिए उपलब्ध सरमन के आंकड़ों के आधार पर किया गया जिसमें लगभग 75% राजस्व शामिल है। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के लिए परित्यक्त राजस्व जानने के लिए 100% तक राजस्व शामिल किया गया। तथापि, सितम्बर-मार्च, 2009 की अवधि के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों का परिकलन करने के लिए शेष वर्ष के लिए उसी आंकड़ा प्रणाली को जारी रखने के संबंध में सामान्य अनुमान नहीं किया गया। यह इस तथ्य के कारण किया गया कि वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान अचानक वैश्विक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मंदी से निपटने के उपाय के तौर पर दिनांक 07.12.2008 को सम्पूर्ण क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्वायंट तक प्रभावी उत्पाद शुल्क दरों को कम कर दिया गया था। बाद में दिनांक 24.02.09 को 10% की औसत उत्पाद शुल्क दर को और 2 प्रतिशत प्वायंट कम कर 10% से 8% कर दिया गया। उपयुक्त परिकलन परित्यक्त शुल्क के अनुमानों पर उत्पाद शुल्क ढांचे में इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव के साथ समयोजित करने के लिए किया गया।

वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त शुल्क का संशोधित आंकड़ा पुनः सरमन आंकड़े पर आधारित है जो पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध है और जिसमें 68% राजस्व संग्रहण शामिल है। इसलिए संशोधित परित्यक्त शुल्क का आकलन शेष 32% संग्रहण के लिए उसी आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया। क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त शुल्क का आकलन पृथक रूप से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से किया गया और इसे जोड़ा गया।

तदनुसार वित्त वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त संशोधित राजस्व 128 293 करोड़ रू. के अनुमान की जगह 135 496 करोड़ रू. है।

चालू वित्त वर्ष अर्थात 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान भी वर्ष के भाग अर्थात अप्रैल-दिसम्बर के लिए आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया गया।

तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान 1,70,765 करोड़ रू. [1,64,883 करोड़ रू. उ5,882 करोड़ रू. (क्षेत्र आधारित छूट के लिए)] है।

1,70,765 करोड़ रू. के अनुमान में 1,35,496 करोड़ रू. के पिछले वर्ष के तदनुरूपी संशोधित आंकड़ों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि शुल्क की टैरिफ दर 16% जारी रही, अधिकतर उत्पाद शुल्केय माल पर लगाई जा रही 10% की प्रभावी शुल्क दर को तीसरे राजकोषीय स्टिमुलस पैकेज के भाग के तौर पर फरवरी, 2009 में पुनः घटा कर 8% कर दिया गया। 8% की दर सम्पूर्ण वर्ष 2009-10 के दौरान बनाई रखी गई। चूंकि टैरिफ दर में कोई तदनुरूपी कमी नहीं की गई जो 16% के पूर्व स्तर पर जारी रही, कुल मिलाकर परित्यक्त शुल्क- टैरिफ दर और प्रभावी दर के बीच का अंतर- में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का प्रश्न है, फिलहाल दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैंद्ध इत्र्त प्रतिदायों पर आधारित और इत्र्त्त तुरंत छूट जैसा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में है। प्रतिदायों पर आधारित छूटों के मामले में, परित्यक्त राजस्व की गणना वैयक्तिक इकाइयों को वास्तव में स्वीकृत प्रतिदायों के जोड़ या वर्ष में उनके द्वारा किए गए दावे के आधार पर की जाती है। वर्ष 2009-10 की पूरी अवधि में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर में 8% की कमी करने से, यह स्पष्ट है कि प्रतिदायों की मात्रा कम होगी। जहां तक तुरंत छूटों का प्रश्न है, परित्यक्त राजस्व की गणना सामान्य प्रचलित दर और वास्तव में प्रदत्त शुल्क (शून्य) के बीच के अंतर का प्रयोग करके की जाती है। अतः इसी तर्क से, छूट की योजनाओं के संदर्भ में परित्यक्त राजस्व भी अधोगामी प्रवृत्ति दर्शाती है।

परित्यक्त राजस्व के आंकड़े नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं।

**सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय**

| क्रम सं. | छूट का विवरण | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2008-09 प्राक्कलन** | **2008-09 संशोधित (अनंतिम)** | **2009-10 प्राक्कलन** |
| 1 | पूवोत्तर के राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर; गुजरात के कच्छ जिले में लागू क्षेत्र आधारित छूटें | 10327 | 10589 | 5882 |
| 2 | अन्य | 117966 | 125169 | 164883 |
| **योग** | | **128293** | **135496** | **170765** |

**ख. सीमा शुल्क ड्यूटी**

आयात पर सीमा शुल्क ड्यूटी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क "**टैरिफ दरें**" अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसे "**टैरिफ दरें**" कहा जाता है, में निर्धारित दर से वसूला जाता है। सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 में अतिरिक्त सीमा शुल्क की उगाही का भी प्रावधान (जिसे आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सी वी शुल्क कहा जाता है) है, जिसकी उगाही उसी दर से की जाती है, जो ऐसे माल का विनिर्माण भारत में होने पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर हो। उत्पाद शुल्क की उगाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरसूची अधिनियम, 1985 की अनुसूची एवं विभिन्न वित्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को लोकहित में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी है जिससे निर्धारित शुल्क की दर सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दरों से कम हो। अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों को "**प्रभावी दरें**" कहते हैं।

इस प्रकार परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी न होने पर संदेय शुल्क और संगत अधिसूचना के निबंधनों के अनुरुप प्रदत्त शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में,

**परित्यक्त राजस्व = मूल्य एक्स (शुल्क की दरसूची दर-शुल्क की प्रभावी दर)**

**इस प्रकार, यदि टैरिफ की दर प्रभावी दर के बराबर हो तो परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।**

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का प्राक्कलन, विभिन्न इलेक्ट्रानिक डेटाअंतरण (ई डी आई) अवस्थानों पर स्थित इलेक्ट्रानिक डेटा अंतरण प्रणाली (आई सी ई एस) में दायर आगम पत्रों से उत्पन्न डेटा के आधार पर किया जाता है। फिर भी, ई डी आई प्रणाली में चूंकि छोटे पत्तनों से किए गए आयात के डेटा शामिल नहीं हो पाते जो या तो ई डी आई कवरेज से बाहर होते हैं या वहां पर आगम पत्र हाथ से दायर किए जाते हैं, इसलिए हमारे पास उपलब्ध ई डी आई डेटा से परित्यक्त सीमा शुल्क राजस्व की पूरी तस्वीर नहीं उपलब्ध होती।

परित्यक्त राजस्व डेटा में मूल सीमा शुल्क ड्यूटी, सी वी ड्यूटी से छूट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाएं भी शामिल की जाती हैं जो सी वी ड्यूटी की उगाही से संगत होती हैं। इसमें 4% की विशेष सी वी डी से छूटें भी शामिल की जाती है।

वर्ष 2008-09 में 99470 करोड़ रू. के वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के समक्ष ई डी आई डेटा द्वारा बताया गया सकल सीमा शुल्क राजस्व 83159 करोड़ रू. था। इस प्रकार ई डी आई डेटा वर्ष 2008-09 के वास्तविक सूचित सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 83% दर्शाता है। जहां 2007-08 के लिए ई डी आई डेटा, वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 82% दर्शाता है, 2006-07 के लिए यह आंकड़ा 83% था। प्रभाव में, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े का प्राक्कलन, पर्याप्त वृहत नमूने के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2008-09 का प्राक्कलित परित्यक्त राजस्व, उपर्युक्त अवधि के अनंतिम परित्यक्त राजस्व के रूप में लिया गया है, क्योंकि जिस डेटा पर भरोसा किया गया है वह इस अवधि में नहीं बदला है। इस प्रकार, सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2008-09 का अनंतिम परित्यक्त शुल्क 225752 करोड़ रू. है।

वर्ष 2009-10 के प्राक्कलित परित्यक्त राजस्व (अनुमानित) की गणना करने के लिए, यही पद्धति अपनायी गयी थी। इस प्रकार, जहां कहीं आवश्यक हो वहां समुचित समायोजन करने के बाद, ई डी आई डेटा अखिल भारतीय आंकड़े पर पहुंचने के लिए दर्शाए गए हैं। चूंकि ई डी आई में खाद्य तेल, बीवरेज, खनिज एवं अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद/कच्चे पेट्रोलियम के राजस्व पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होते जिनका आयात सामान्यतः ई डी आई से परे (छोटे पत्तनों) के सीमा शुल्क अवस्थानों के जरिए बल्क कार्गो के रूप में किया जाता है, अतः इन मदों से प्राप्त वास्तविक राजस्व के आकड़े अलग से संग्रहित किए गए हैं। अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि में ई डी आई के अनुसार कुल प्राप्त राजस्व 33222 करोड़ रू. है, फिर भी इन जिंसों से प्राप्त वास्तविक राजस्व को ई डी आई डेटा में जोड़ देने पर वर्ष 2009-10 का (सितंबर 2009 तक) कवरेज बढ़कर 35705 करोड़ रू. या कुल राजस्व का लगभग 91% हो जाता है।

डेटावेस में समुचित समायोजन के पश्चात, अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 के आंकड़ों का 12 महीनों के आंकड़े निकालने के लिए प्रयोग किया गया है जिससे समस्त वर्ष का परित्यक्त राजस्व 249021 करोड़ रू. बैठता है। सीमा शुल्क ड्यूटी के संदर्भ में कुल परित्यक्त राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% बढ़ गया है। परित्यक्त राजस्व में यह वृद्धि 2008-09 के दौरान दर्ज परित्यक्त राजस्व (पिछले वर्ष की तुलना में 47% की वृद्धि) की तुलना में मध्यम है क्योंकि पिछले वर्ष के विपरीत जब कई महत्वपूर्ण मदों यथा कच्चे पेट्रोलियम, खाद्य तेल एवं इस्पात तथा दो प्रेरक पैकेजों का सी वी डी प्रभाव में सीमा शुल्क की दरों में भारी कटौती की गयी थी, सीमा शुल्क दरों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009-10 पर्याप्त स्थिर रहा। 2008-09 में प्रभावी कटौतियां पूरे वर्ष लागू रही थीं।

महत्वपूर्ण वस्तु ग्रुपों और कुल मिलाकर परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के कारण वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 की अविध में परित्यक्त सीमा शुल्क सारणी 9 में निम्न प्रकार दिया गया है :

**सारणी-9**

*(करोड़ रूपये में)*

**परित्यक्त राजस्व में महत्वपूर्ण वस्तु ग्रुपों का हिस्सा**

| क्षेत्र | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|
| | परित्यक्त राजस्व | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत | परित्यक्त राजस्व | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत |
| क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल | 47424 | 21 | 38820 | 15.59 |
| मशीनरी | 31262 | 13.8 | 40174 | 16.13 |
| हीरे, सोना और जवाहरात | 27649 | 12.2 | 39769 | 15.97 |
| ईडिबल वेजिटेबल फ्रूट, अनाज | 26841 | 11.9 | 36537 | 14.67 |
| प्राइमरी मेटल्स | 14960 | 6.63 | 18010 | 7.23 |
| केमिकल्स एंड प्लास्टिक | 15707 | 7 | 21403 | 8.59 |
| टैक्सटाइल | 11085 | 4.9 | 9568 | 3.84 |
| फर्टिलाइजर | 14200 | 6.3 | 8010 | 3.22 |
| साल्ट और अयस्क | 9726 | 4.3 | 3153 | 1.27 |
| ड्रग्स | 3385 | 1.5 | 2747 | 1.10 |
| **महत्वपूर्ण वस्तु ग्रुपों के लिए कुल** | **202240** | **90** | **218191** | **88** |

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्यायों में से प्रत्येक के लिए परित्यक्त राजस्व का आंकड़ा सारणी में निम्न प्रकार है :

**सारणी :10 सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर व्यय के अनुमान**

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2008-09 (अस्थाई) | 2009-10 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 1 | लाइव एनिमल | 2 | 3 |
| 2 | मीट एंड ईडिबल मीट ऑफल | 4 | 8 |
| 3 | मछली और झीगा अन्य जलचर | 25 | 42 |
| 4 | डेयरी प्रोडक्टस | 52 | 147 |
| 5 | पशु मूल के अन्य आर्गन | 16 | 27 |
| 6 | हरे भरे पेड़ और अन्य पौधे | 6 | 5 |
| 7 | खाद्य वनस्पतियां रूटस और टब्बर्स | 3601 | 4424 |
| 8 | ईडिबल फ्रूट एंड नट्स | 1656 | 2586 |
| 9 | काफी, चाय, मीट और स्पाइसिस | 621 | 855 |

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2008-09 (अस्थाई) | 2009-10 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 10 | अनाज | 87 | 27 |
| 11 | मिलिंग उद्योग के उत्पाद | 21 | 59 |
| 12 | आयलसीड्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट | 214 | 362 |
| 13 | लाख, गम्स और रेसिन | 163 | 227 |
| 14 | वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री | 1 | 1 |
| 15 | एनीमल ऑफ वेजिटेबल फेट्स | 21497 | 29530 |
| 16 | मीट और मछली की निर्मित्तियां | 11 | 21 |
| 17 | चीनी | 408 | 269 |
| 18 | कोका | 49 | 80 |
| 19 | अनाज की निर्मित्तियां | 29 | 42 |
| 20 | सब्जियों की निर्मित्तियां | 22 | 34 |
| 21 | विविध एडिबल निर्मित्तियां | 243 | 377 |
| 22 | ब्रीव्रेज और स्प्रिट | 229 | 631 |
| 23 | खाद्य उद्योग से अवशेष और कूड़ा कबाड़ | 161 | 296 |
| 24 | तंबाकू | 12 | 11 |
| 25 | नमक, सल्फर, एर्थ और स्टोन | 978 | 616 |
| 26 | अयस्क | 8748 | 2537 |
| 27 | मिनरल फ्यूल्स एवं मिनरल तेल | 47424 | 38820 |
| 28 | इनआर्गनिक केमिकल्स | 4879 | 4685 |
| 29 | आर्गनिक केमिकल्स | 7700 | 10722 |
| 30 | फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद | 3385 | 2747 |
| 31 | फर्टिलाइजर | 14200 | 8010 |
| 32 | टेनिंग और डाइंग अवशेष और पिगमेंट | 450 | 965 |
| 33 | ऐसेन्शियल ऑयल | 282 | 544 |
| 34 | साबुन और धोवन निर्मित्तियां | 135 | 300 |
| 35 | अल्बुमिनोइडल सब्सटेंसिस | 100 | 211 |
| 36 | विस्फोटक, माचिसें | 10 | 32 |
| 37 | फोटोग्राफी माल | 113 | 231 |
| 38 | विविध केमिकल उत्पाद | 1657 | 2725 |
| 39 | प्लास्टिक | 3128 | 5996 |
| 40 | रबर | 1316 | 2132 |
| 41 | हाइड एंड स्किन एंड लेदर | 300 | 333 |
| 42 | चमड़े की वस्तुएं | 43 | 76 |
| 43 | फर स्किन | 3 | 4 |
| 44 | लकड़ी | 1167 | 1430 |
| 45 | कार्क | 2 | 2 |
| 46 | स्ट्रा उत्पादक | 0 | 0 |
| 47 | लकड़ी की लुगदी | 383 | 493 |
| 48 | पेपर | 1426 | 1681 |
| 49 | प्रीटिड बुक और अखबार | 365 | 347 |
| 50 | सिल्क | 453 | 640 |
| 51 | ऊन | 293 | 320 |
| 52 | कॉटन | 1183 | 1046 |

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2008-09 (अस्थाई) | 2009-10 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 53 | अन्य वेजिटेबल फाइबर्स | 49 | 41 |
| 54 | मानव निर्मित फिलामेंट | 3764 | 4731 |
| 55 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर | 408 | 601 |
| 56 | वेडिंग एंड नॉन वोवन | 34 | 53 |
| 57 | कारपेट | 26 | 30 |
| 58 | विशेष वोवन फैब्रिक | 4025 | 886 |
| 59 | कोटिड टेक्सटाइल फैब्रिक | 565 | 807 |
| 60 | निटिड फैब्रिक्स | 164 | 264 |
| 61 | नीटिड रेडिमेट गारमेंट | 23 | 30 |
| 62 | वोवन गारमेंट | 60 | 52 |
| 63 | मेड अप्स | 39 | 67 |
| 64 | फुटवियर | 169 | 233 |
| 65 | हेड गियर | 2 | 4 |
| 66 | छाता | 16 | 20 |
| 67 | पंख/कृत्रिम फूल | 12 | 13 |
| 68 | आर्टिकल आफ स्टोन/प्लास्टर | 133 | 226 |
| 69 | सेरेमिक प्रोडक्टस | 316 | 437 |
| 70 | ग्लास एंड ग्लासवेअर | 208 | 371 |
| 71 | प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी | 27649 | 39769 |
| 72 | ऑयरन एंड स्टील | 8634 | 10494 |
| 73 | आयरन एंड स्टील की वस्तुएं | 3371 | 2972 |
| 74 | कॉपर एंड और उसकी वस्तुएं | 654 | 903 |
| 75 | निकेल एवं उसकी वस्तुएं | 230 | 326 |
| 76 | अल्युमिनयम और उसकी वस्तुएं | 976 | 1487 |
| 78 | लीड एंड और उसकी वस्तुएं | 172 | 484 |
| 79 | जिंक और उसकी वस्तुएं | 159 | 271 |
| 80 | टिन एंड आर्टिकल्स देयरआफ | 74 | 96 |
| 81 | अदर बेस मेहल्स | 118 | 253 |
| 82 | टूल एंड इम्पलीमेंट | 411 | 444 |
| 83 | बेस मेटल्स की विविध वस्तुएं | 160 | 282 |
| 84 | मशीनरी | 18567 | 21990 |
| 85 | इलेक्ट्रीकल मशीनरी | 12695 | 18184 |
| 86 | रेलवे और ट्रामवे लोकोमेटिव, रोलिंग स्टाक आदि | 357 | 738 |
| 87 | मोटर व्हीकल | 3010 | 3754 |
| 88 | एयरक्राफ्ट | 2072 | 2533 |
| 89 | शिप, बोट और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स | 2432 | 1075 |
| 90 | ऑप्टीकल/फोटोग्राफिक इस्ट्रूमेंट्स | 3404 | 4236 |
| 91 | क्लॉक एंड वाचिस | 49 | 119 |
| 92 | म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट | 9 | 11 |
| 93 | आर्म्स एंड एम्युनिएशन | 166 | 397 |
| 94 | फर्नीचर | 306 | 378 |
| 95 | टायस एंड गेम्स | 181 | 192 |
| 96 | विविध विनिर्मित वस्तुएं | 177 | 248 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | वर्क आफ आर्ट, एंटीक्स | 27 | 26 |
| 98 | प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट बैगेज | 425 | 785 |
| | **कुल** | **225752** | **249021** |

इन आंकड़ों में प्रतिअदायगी को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यकरण से परित्यक्त राजस्व शामिल हैं। अलग अलग निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा पृथक रूप से नीचे दिया गया है। इन स्कीमों में से शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र, टार्गेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) भारत और महत्वपूर्ण बाजार से संचालित प्रोत्साहित स्कीम हैं। शेष या तो छूट स्कीम हैं अथवा निविष्ट कर क्रेडिट प्रदान करती है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को सामान क्षेत्र प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों (प्रतिअदायगी को छोड़कर) से परित्यक्त राजस्व को प्रोत्साहन स्कीमों के संवर्ग में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व की राशि तक कम किए जाने की आवश्यकता है। नीचे की सारणी 11 के क्रम संख्या 15 में ऐसे परित्यक्त राजस्व की राशि दी गई है।

**सारणी 11 : निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व**

*(करोड़ रूपये में)*

| अध्याय | योजना का नाम | 2008-09 (अस्थाई) | 2009-10 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 1 | अग्रिम लाइसेंस योजना | 12389 | 10682 |
| 2 | ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी | 13401 | 8015 |
| 3 | ईपीसीजी | 7833 | 5574 |
| 4 | डीईपीबी स्कीम | 7092 | 8806 |
| 5 | एसईजेड | 2324 | 3204 |
| 6 | डीएफआरसी | 111 | 43 |
| 7 | शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना | 1268 | 1646 |
| 8 | शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र | 418 | 206 |
| 9 | टारगेट प्लस योजनाएं | 1220 | 265 |
| 10 | विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) | 2059 | 3886 |
| 11 | भारत से सेवा योजना | 531 | 526 |
| 12 | फोकस मार्किट/ उत्पाद योजना | 408 | 769 |
| **13** | **जोड़** | **49053** | **43622** |
| 14 | घटा क्रम संख्या 8 से 12 तक प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व | 4636 | 5652 |
| 15 | निविष्ट कर निष्क्रिय अथवा छूट स्कीमों के कारण परित्यक्त राजस्व को सीमा शुल्क के कारण परित्यक्त सकल राजस्व से घटाए जाने हेतु | 44417 | 37970 |

*नोट : परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त अनुमानों में आपवादिक प्रकृतिक की परिस्थितियों से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है।*

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो करों के संबंध में वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10, के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी-12 में दिये गए हैं।

**सारणी - 12 : वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 में परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपये में)**

| राजस्व में परित्यक्त राजस्व | वर्ष 2007-08 में परित्यक्त के प्रतिशत के रूप | वर्ष 2007-08 में सकल कर संग्रहण राजस्व में परित्यक्त राजस्व | वर्ष 2008-09 में परित्यक्त के प्रतिशत के रूप | वर्ष 2008-09 सकल कर संग्रहण |
|---|---|---|---|---|
| कारपोरेट आयकर | 66901 | 11.08% | 79554 | 12.60% |
| वैयक्तिक आयकर | 37570 | 6.22% | 40929 | 6.48% |
| उत्पाद शुल्क | 128293 | 21.25% | 170765 | 27.04% |
| सीमा शुल्क | 225752 | 37.39% | 249021 | 39.43% |
| कुल | 458516 | 75.95% | 540269 | 85.56% |
| संबंधित कम निर्यात क्रेडिट सारणी-11 की क्र.सं. 15 | 44417 | 7.36% | 37970 | 6.01% |
| **कुल योग** | **414099** | **68.59%** | **502299** | **79.54%** |

नोट : (1) कुल कर संग्रह केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित निवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का योग है।

(2) वर्ष 2008-09 के लिए कुल कर संग्रह के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है और 2009-10 के लिए कुल कर संग्रह के आंकड़े संशोधित अनुमानों पर आधारित है।

**निष्कर्ष के तौर पर** परित्यक्त राजस्व की राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती रही है। कुल कर संग्रह की प्रतिशतता के तौर पर परित्यक्त राजस्व अत्यधिक रहा है और जहां तक वित्त वर्ष 2008-09 के लिए कारर्पोरेट आयकर का संबंध है यह वृद्धि की प्रवृति को दर्शाता है अप्रत्यक्ष करों के मामलों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी के कारण वित्त वर्ष 2009-10 के लिए प्रवृत्ति अत्यधिक वृद्धि को दर्शाति है इसलिए इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए कर दायरे में विस्तार अपेक्षित है।

**परिशिष्ट**

**उद्योग में नमूना कंपनियों की अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर**
**(वित्त वर्ष 2008-09) (नमूना आकार – 365509)**

| क्रम सं. | क्षेत्र | उद्योग | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये) | संदेय कुल कर (करोड़ रुपये) | प्रभावी कर दर (% में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विनिर्माण | कृषि आधारित उद्योग | 8,515 | 5,887 | 1,197 | 20.3 |
| 2 | विनिर्माण | आटोमोबाइल एवं आटो पार्ट्स | 3,555 | 13,878 | 3,247 | 23.4 |
| 3 | विनिर्माण | सीमेंट | 587 | 11,304 | 1,192 | 17.6 |
| 4 | विनिर्माण | हीरा कटाई | 377 | 383 | 54 | 14.2 |
| 5 | विनिर्माण | औषधि एवं भेषज | 4,262 | 13,370 | 2,302 | 17.2 |
| 6 | विनिर्माण | इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित | 2,233 | 4,796 | 1,320 | 27.5 |
| 7 | विनिर्माण | इंजीनियरी माल | 8,161 | 15,004 | 4,073 | 27.1 |
| 8 | विनिर्माण | उर्वरक, रसायन एवं पेन्ट्स | 3,319 | 21,984 | 3,024 | 13.8 |
| 9 | विनिर्माण | आटा एवं चावल मिलें | 1,124 | 395 | 105 | 26.8 |
| 10 | विनिर्माण | खाद्य प्रसंस्करण यूनिट | 1,958 | 3,217 | 848 | 26.4 |
| 11 | विनिर्माण | संगमरमर एवं ग्रेनाइट | 1,639 | 663 | 163 | 24.6 |
| 12 | विनिर्माण | कागज | 1,248 | 6,304 | 1,444 | 22.9 |
| 13 | विनिर्माण | पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन | 589 | 36,266 | 6,259 | 17.3 |
| 14 | विनिर्माण | विद्युत एवं ऊर्जा | 2,576 | 57,048 | 12,532 | 22.0 |
| 15 | विनिर्माण | मुद्रण एवं प्रकाशन | 2,163 | 2,383 | 685 | 28.8 |
| 16 | विनिर्माण | रबर | 850 | 483 | 104 | 21.6 |
| 17 | विनिर्माण | इस्पात | 4,100 | 18,653 | 5,391 | 28.9 |
| 18 | विनिर्माण | चीनी | 230 | 1,682 | 222 | 13.2 |
| 19 | विनिर्माण | चाय एवं काफी | 797 | 1,169 | 195 | 16.8 |
| 20 | विनिर्माण | वस्त्र, हथकरघा तथा पावरलूम | 8,290 | 9,162 | 816 | 8.9 |
| 21 | विनिर्माण | तम्बाकू | 291 | 591 | 159 | 27.0 |
| 22 | विनिर्माण | टायर | 141 | 638 | 191 | 30.0 |
| 23 | विनिर्माण | वनस्पति एवं खाद्य तेल | 567 | 1,176 | 240 | 20.5 |
| 24 | विनिर्माण | अन्य | 43,757 | 97,447 | 24,571 | 25.2 |
| 25 | व्यापार | चेन स्टोर | 624 | 172 | 44 | 25.9 |
| 26 | व्यापार | खुदरा विक्रेता | 8,213 | 1,850 | 504 | 27.3 |
| 27 | व्यापार | थोक विक्रेता | 14,402 | 3,108 | 874 | 28.1 |
| 28 | व्यापार | अन्य | 53,516 | 22,917 | 5,855 | 25.6 |
| 29. | कमीशन एजेंट | सामान्य कमीशन एजेंट | 3,473 | 1,017 | 315 | 31.0 |
| 30 | भवन निर्माता | भवन निर्माता | 10,884 | 3,423 | 722 | 21.1 |
| 31 | भवन निर्माता | संपदा एजेंट | 2,314 | 1,228 | 282 | 23.0 |
| 32 | भवन निर्माता | प्रापर्टी डेवपलेपर | 18,634 | 15,964 | 2,202 | 13.8 |
| 33 | भवन निर्माता | अन्य | 12,780 | 2,313 | 454 | 19.7 |

| क्रम सं. | क्षेत्र | उद्योग | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये) | संदेय कुल कर (करोड़ रुपये) | प्रभावी कर दर (% में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | संविदाकार | सिविल संविदाकार | 6,040 | 9,579 | 2,490 | 26.0 |
| 35 | संविदाकार | एक्साइज संविदाकार | 15 | 4 | 1 | 21.5 |
| 36 | संविदाकार | वन संविदाकार | 6 | 1 | 0 | 2.6 |
| 37 | संविदाकार | खनन संविदाकार | 458 | 1,870 | 573 | 3.7 |
| 38 | संविदाकार | अन्य | 6,134 | 8,062 | 1,704 | 21.1 |
| 39 | व्यावसायिक | सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षक, आदि | 64 | 6 | 1 | 30.2 |
| 40 | व्यावसायिक | फैशन डिजाइनर | 58 | 29 | 7 | 24.0 |
| 41 | व्यावसायिक | विधिक व्यावसायिक | 163 | 36 | 12 | 33.0 |
| 42 | व्यावसायिक | चिकित्सा व्यावसायिक | 935 | 147 | 39 | 26.8 |
| 43 | व्यावसायिक | नर्सिंग होम | 780 | 80 | 22 | 28.2 |
| 44 | व्यावसायिक | विशेषज्ञ अस्पताल | 366 | 410 | 98 | 24.0 |
| 45 | व्यावसायिक | अन्य | 3,717 | 1,662 | 478 | 28.8 |
| 46 | सेवा | विज्ञापन एजेंसियां | 1,874 | 894 | 297 | 33.3 |
| 47 | सेवा | ब्यूटी पार्लर | 131 | 23 | 8 | 35.5 |
| 48 | सेवा | परामर्शी सेवाएं | 9,853 | 9,490 | 1,680 | 17.7 |
| 49 | सेवा | कुरियर एजेंसियां | 364 | 380 | 114 | 30.1 |
| 50 | सेवा | कंप्यूटर प्रशिक्षण, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान | 1,900 | 841 | 224 | 26.6 |
| 51 | सेवा | विदेशी मुद्रा डीलर | 485 | 23 | 6 | 27.6 |
| 52 | सेवा | अतिथि सेवाएं | 2,392 | 1,584 | 411 | 26.0 |
| 53 | सेवा | होटल | 4,970 | 3,258 | 883 | 27.1 |
| 54 | सेवा | सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता | 6,493 | 19,568 | 2,571 | 13.1 |
| 55 | सेवा | सुरक्षा एजेंसियां | 845 | 294 | 102 | 34.8 |
| 56 | सेवा | साफ्टवेयर विकास एजेंसियां | 8,166 | 26,030 | 3,072 | 11.8 |
| 57 | सेवा | ट्रांसपोर्टर | 2,991 | 3,122 | 685 | 22.0 |
| 58 | सेवा | ट्रैवल एजेंट एवं टूर आपरेटर | 2,600 | 473 | 148 | 31.4 |
| 59 | सेवा | अन्य | 37,481 | 55,679 | 12,600 | 22.6 |
| 60 | सेवा | बैंकिंग कंपनियां | 246 | 74,323 | 24,792 | 33.4 |
| 61 | सेवा | चिट फंड | 1878 | 97 | 28 | 29.5 |
| 62 | सेवा | वित्तीय संस्थाएं | 284 | 7,285 | 2,074 | 22.5 |
| 63 | सेवा | वित्त सेवा प्रदाता | 2,636 | 2,832 | 815 | 28.8 |
| 64 | सेवा | लीजिंग कंपनियां | 600 | 805 | 104 | 13.0 |
| 65 | सेवा | उधार देने वाला | 401 | 684 | 216 | 31.6 |
| 66 | सेवा | गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां | 7,738 | 19,383 | 4,767 | 24.6 |
| 67 | सेवा | शेयर दलाल, उप दलाल आदि | 3,458 | 3,630 | 1,158 | 31.9 |
| 68 | सेवा | अन्य | 17,350 | 34,649 | 6,087 | 17.6 |
| 69 | मनोरंजन उद्योग | केबल टीवी निर्माण | 243 | 138 | 44 | 31.9 |
| 70 | मनोरंजन उद्योग | फिल्म वितरण | 283 | 498 | 151 | 30 |
| 71 | मनोरंजन उद्योग | फिल्म प्रयोगशालाएं | 25 | 35 | 3 | 10.9 |
| 72 | मनोरंजन उद्योग | मोशन पिक्चर निर्माता | 357 | 221 | 73 | 33.3 |
| 73 | मनोरंजन उद्योग | दूरदर्शन चैनल | 226 | 939 | 319 | 34.0 |
| 74 | मनोरंजन उद्योग | अन्य | 4,034 | 3,400 | 931 | 27.4 |
| **योग** | | | **3,65,509** | **6,68,373** | **1,52,212** | **22.8** |